




BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL

ORIGINAL APPLICATION NO. 88/2017



Tribunal at its Own Motion

...Applicant

VERSUS

State of Rajasthan & Ors.

...Respondents

**ACTION TAKEN REPORT IN COMPLIANCE OF**  
**THE ORDER DATED 06.12.2021 ON BEHALF OF**  
**NAGAR NIGAM, JAIPUR HERITAGE, JAIPUR**

I, Kamlesh Kumar Jaiman S/o Shri C.M. Jaiman, aged about 52 years, presently working as Executive Engineer, Sewer cum Officer in Charge at Nagar Nigam, Jaipur Heritage, Jaipur do hereby solemnly state and affirm as under:


1. That I am working as Executive Engineer, Sewer cum Officer in Charge at Nagar Nigam, Jaipur Heritage, Jaipur and I am

*original.*

**ATTESTED**

  
 Notary Public  
 Jaipur Raj (INDIA)

**2 FEB 2022**



well conversant with the facts and circumstances of the matter and as such competent to file this Action Taken Report on behalf of the Nagar Nigam, Jaipur Heritage, Jaipur.

2. That this Hon'ble Tribunal has been pleased to pass Order dated 06.12.2021 and directed inter-alia as follows:

*"Accordingly, we direct the Municipal Commissioner of Municipal Council, Jaipur and Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board will personally appear on the next date of hearing through video conference with the Action Taken Report on the matter specially in compliance of the Resolution dated 24.06.2020 (headed by Chief Secretary)."*


3. That the District Collector, Jaipur vide Letter dated 25.11.2021 directed the Commissioner, Nagar Nigam Heritage, Jaipur to take action against the 10 Industrial Units illegally operating in the residential area near Man Sagar Lake,

*definitely*

**ATTESTED**

*[Signature]*  
Notary Public  
Jaipur (INDIA)

2 FEB 2022



Jaipur. Photocopy of the Letter dated 25.11.2021 is submitted herewith and marked as **Annexure-1**.

It is pertinent to mention here that in pursuance to Letter dated 25.11.2021 and in compliance of the directions passed by the Hon'ble Tribunal vide Order dated 06.12.2021, the Nagar Nigam Heritage, Jaipur issued Notices dated 13.01.2022 to all 10 Units for closure of their operations. Photocopies of the Notices dated 13.01.2022 issued to 10 Units are submitted herewith and marked as **Annexure-2 (Colly)**.


4. That there are 2 STPs which are situated in Brahmपुरi and Jaisinghpura Khor, both are in working position. Nagar Nigam Heritage, Jaipur is maintaining their operational work. It is further submitted that no sewerage has been laid down in Man Sagar Lake, the then Executive Engineer, Sewer Project, Nagar Nigam Heritage,

*Definoy.*

**ATTESTED**

  
Notary Public  
Jaipur (Raj.) (INDIA)

**2 FEB 2022**



4

Jaipur vide its Letter dated 25.11.2021 has already informed to the Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board vide its Letter dated 25.11.2021 that new sewerage line has been laid down and excess sewage from Brahmpuri STP is being transferred to Jaisinghpura Khor STP for treatment. Photocopy of the Letter dated 25.11.2021 of the Executive Engineer, Nagar Nigam Heritage, Jaipur is submitted herewith and marked as **Annexure-3.**

In view of the above, it is submitted that the Action Taken Report may kindly be taken on record.

(Kamlesh Kumar Jaiman)

Executive Engineer, Sewer cum  
Officer in Charge

Nagar Nigam, Jaipur Heritage, Jaipur

**ATTESTED**  
  
Notary Public  
Jaipur Raj (INDIA)  
2 FEB 2022

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांक: आर-1/( )2021/एनजीटी/

दिनांक:

आयुक्त,  
नगर निगम हेरिटेज,  
जयपुर।

विषय:- Original Application no. 88/2017 Before the National Green Tribunal Central Zone Bench, Bhopal में पारित आदेश दिनांक 06.10.2021 के क्रम में।

प्रसंग:- उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर के पत्रांक 2551 दिनांक 22.11.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में Original Application no. 88/2017 Before the National Green Tribunal Central Zone Bench, Bhopal द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2021 की पालना में श्री शोयब हसन खॉन, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल से जवाब/शपथ पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में राय प्राप्त की गई जिसके अनुसार अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा चालू औद्योगिक ईकाईयों का प्रदूषित जल मानसागर झील, जयपुर में प्रवाहित होने तथा उक्त औद्योगिक ईकाईयों को बंद किये जाने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रकरण में अति० अधिवक्ता द्वारा दी गई राय के अनुसार मानसागर झील जयपुर में चिन्हित चालू 10 औद्योगिक ईकाईयों जिनके द्वारा प्रदूषित जल मानसागर झील, जयपुर में प्रवाहित कर प्रदूषण फैलाया जा रहा है का उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार जयपुर, नायब तहसीलदार जयपुर, सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग झोटवाड़ा एवं संबन्धित भू०अ०नि०, पटवारी व अन्य कार्मिकों के साथ दिनांक 17.11.2021 को मौका निरीक्षण किया गया जिसमें 10 औद्योगिक ईकाईयों में से 09 चालू पाई गई एवं 01 बंद पाई गई (सूची संलग्न)

मुख्य सचिव महोदय, की अध्यक्षता में दिनांक 24.06.2020 को आयोजित अन्तर विभागीय बैठक के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के पत्र दिनांक 30.06.2020 द्वारा जारी कार्यवाही विवरण एवं पत्र दिनांक 09.07.2020 द्वारा जारी संशोधित कार्यवाही विवरण के अनुसार वांछित भू-संपरिवर्तन के अभाव में स्थापित एवं कार्यरत इकाईयों पर कार्यवाही संबंधित विभाग यथा राजस्व विभाग/नगरीय विकास विभाग/स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किया जाना विधि संगत है।

उक्त के अतिरिक्त नगर से जनित उच्छिष्ट के मानसागर झील में पहुँचने की रोकथाम तथा अनुपचारित उच्छिष्ट को मानसागर झील में पहुँचने से रोकने हेतु की गई व्यवस्था तथा ब्रह्मपुरी एवं जयसिंहपुरा खोर में स्थापित मल-जल शोधन संयंत्रों में उच्छिष्ट के पहुँचने एवं उपचारित उच्छिष्ट के निस्त्राव हेतु स्थापित व्यवस्था तथा वर्तमान में उपचारित उच्छिष्ट के उपयोग की व्यवस्था से भी अवगत करावें।

अतः माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल द्वारा पारित आदेशों एवं मुख्य सचिव की बैठक के कार्यवृत्त की पालना में उक्त औद्योगिक ईकाईयों को बंद करवाकर तथा इस प्रकार की अन्य कोई औद्योगिक ईकाईया भी संचालित हो तो उन्हें भी बन्द करवाकर पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल भिजवाने का श्रम करावें। अनुपचारित उच्छिष्ट/घरेलू मल-जल को मानसागर झील में पहुँचने से रोकने हेतु की गई व्यवस्था से अवगत करावें ताकि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल में आगामी नियत तिथि 30.11.2021 को जवाब/शपथ पत्र प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा सके। इस संबंध में लेख है भविष्य में भी मानसागर झील में किसी प्रकार के अनुपचारित उच्छिष्ट का नहीं जाना भी सुनिश्चित करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(अंतर सिंह नेहरा)

जिला कलेक्टर  
एवं जिला मजिस्ट्रेट  
जयपुर

क्रमांक:आर-1/( )2021/एनजीटी/ 10/07

प्रतिलिपि:-

1)उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर के पत्रांक 2551 दिनांक 22.11.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

2)क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर उत्तर को औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि पर संचालित उद्योगों के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर अनुपालना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

25/11/21

Dep A/2

6

कार्यालय उपायुक्त हवामहल-आमेर जिला,  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज ।

क्रमांक :- F 51 ( ) Dept.Comm./H.M.A.Z/ 2022/ 1180

दिनांक :- 13.1.2022

मै0 एम0डी0 कलर,  
प्लॉट नं. 26, 27, 28, महबूब विहार, ईदगाह के सामने,  
दिल्ली बाईपास, जयपुर।

## नोटिस

आपके द्वारा पता प्लॉट नं. 26, 27, 28, महबूब विहार, ईदगाह के सामने, दिल्ली बाईपास, जयपुर स्थिति भूखण्ड पर अनुज्ञेय भू-उपयोग के विपरीत औद्योगिक कारखाना स्थापित कर रखा है। जो कि नगर पालिका अधिनियम 2009 का उल्लंघन है एवं आपकी इस ईकाई के प्रदूषण के कारण मानसागर झील प्रदूषित हो रही है।

अतः आप इस औद्योगिक ईकाई को यहाँ से बन्द कर तुरंत अन्यत्र स्थानान्तरित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें। अन्यथा नगर निगम द्वारा अनुज्ञेय भू-उपयोग के विपरीत किये जा रहे, आपके परिसर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

सूचित रहे।

  
उपायुक्त

हवामहल-आमेर जिला  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज।

  
21/22/2911  
9001000522

कार्यालय उपायुक्त हवामहल-आमेर जोन,  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज ।

क्रमांक :- F 51 ( ) Dept.Comm./H.M.A.Z/ 2022/ 118)

दिनांक :- 13.11.2022

मै0 याकूब भाई, के0 ऑ0 मोहम्मद इब्राहिम,  
फकीरों की डूंगरी, जाकीरान मस्जिद के पास,  
गोविन्द नगर पूर्व, रामगढ़ मोड़, जयपुर।


## नोटिस

आपके द्वारा पता फकीरों की डूंगरी, जाकीरान मस्जिद के पास, गोविन्द नगर पूर्व, रामगढ़ मोड़, जयपुर स्थिति भूखण्ड पर अनुज्ञेय भू-उपयोग के विपरीत औद्योगिक कारखाना स्थापित कर रखा है। जो कि नगर पालिका अधिनियम 2009 का उल्लंघन है एवं आपकी इस ईकाई के प्रदूषण के कारण मानसागर झील प्रदूषित हो रही है।

अतः आप इस औद्योगिक ईकाई को यहाँ से बन्द कर तुरंत अन्यत्र स्थानान्तरित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें। अन्यथा नगर निगम द्वारा अनुज्ञेय भू-उपयोग के विपरीत किये जा रहे, आपके परिसर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

सूचित रहे।

  
उपायुक्त  
हवामहल-आमेर जोन  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज।

  
9414893815

कार्यालय उपायुक्त हवामहल-आमेर जोन

8

नगर निगम जयपुर हैरिटेज ।

क्रमांक :- F 51 ( ) Dept.Comm./H.M.A.Z/ 2022/ 1172

दिनांक :- 13.1.2022

मै0 जिन्नत प्रिन्टग वर्क्स,  
दरबार कॉलोनी, दिल्ली बाईपास,  
जयपुर।

## नोटिस


आपके द्वारा पता दरबार कॉलोनी, दिल्ली बाईपास, जयपुर स्थिति भूखण्ड पर अनुज्ञेय भू-उपयोग के विपरीत औद्योगिक कारखाना स्थापित कर रखा है। जो कि नगर पालिका अधिनियम 2009 का उल्लंघन है एवं आपकी इस ईकाई के प्रदूषण के कारण मानसागर झील प्रदूषित हो रही है।

अतः आप इस औद्योगिक ईकाई को यहाँ से बन्द कर तुरंत अन्यत्र स्थानान्तरित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करे। अन्यथा नगर निगम द्वारा अनुज्ञेय भू-उपयोग के विपरीत किये जा रहे, आपके परिसर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

सूचित रहे।



उपायुक्त  
हवामहल-आमेर जोन  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज।

  
श्रीदेवावात्स  
7300317974

कार्यालय उपायुक्त हवामहल-आमेर जोन,  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज ।

क्रमांक :- F 51 () Dept.Comm./H.M.A.Z/ 2022/ 1179

दिनांक :- 17.1.2022

मै0 इमरान डाईना,  
प्लॉट नं. 146, हुसैन कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी के पास,  
आमेर रोड़, जयपुर।

## नोटिस

आपके द्वारा पता 146, हुसैन कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी के पास, आमेर रोड़, जयपुर स्थिति भूखण्ड पर अनुज्ञेय भू-उपयोग के विपरीत औद्योगिक कारखाना स्थापित कर रखा है। जो कि नगर पालिका अधिनियम 2009 का उल्लंघन है एवं आपकी इस ईकाई के प्रदूषण के कारण मानसागर झील प्रदूषित हो रही है।

अतः आप इस औद्योगिक ईकाई को यहाँ से बन्द कर तुरंत अन्यत्र स्थानान्तरित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करे। अन्यथा नगर निगम द्वारा अनुज्ञेय भू-उपयोग के विपरीत किये जा रहे, आपके परिसर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

सूचित रहे।



उपायुक्त  
हवामहल-आमेर जोन  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज।



9269715340

कार्यालय उपायुक्त, हवामहल-आमेर जोन,  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज ।

10

क्रमांक :- F 51 ( ) Dept.Comm./H.M.A.Z/ 2022/ 1175

दिनांक :- 13.11.2022

मै0 अब्दुल कदीर,  
86, हजरत अली नगर, रामगढ़ मोड़,  
जयपुर।

## नोटिस

आपके द्वारा पता 86, हजरत अली नगर, रामगढ़ मोड़, जयपुर स्थिति भूखण्ड पर अनुज्ञेय भू-उपयोग के विपरीत औद्योगिक कारखाना स्थापित कर रखा है। जो कि नगर पालिका अधिनियम 2009 का उल्लंघन है एवं आपकी इस ईकाई के प्रदूषण के कारण मानसागर झील प्रदूषित हो रही है।

अतः आप इस औद्योगिक ईकाई को यहाँ से बन्द कर तुरंत अन्यत्र स्थानान्तरित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें। अन्यथा नगर निगम द्वारा अनुज्ञेय भू-उपयोग के विपरीत किये जा रहे, आपके परिसर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

सूचित रहे।

  
उपायुक्त  
हवामहल-आमेर जोन  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज।

क. मदीर

6378591259

कार्यालय उपायुक्त, हवामहल-आमेर जोन,  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज ।

क्रमांक :- F 51 ( ) Dept.Comm./H.M.A.Z/ 2022/ 1178

दिनांक :- 13.1.2022

मै0 जाकिर भाई,  
प्लॉट नं. 69, गोविन्दपुरी ईस्ट,  
आमेर रोड़, जयपुर।

## नोटिस

आपके द्वारा पता 69, गोविन्दपुरी ईस्ट, आमेर रोड़, जयपुर स्थिति भूखण्ड पर अनुज्ञेय भू-उपयोग के विपरीत औद्योगिक कारखाना स्थापित कर रखा है। जो कि नगर पालिका अधिनियम 2009 का उल्लंघन है एवं आपकी इस ईकाई के प्रदूषण के कारण मानसागर झील प्रदूषित हो रही है।

अतः आप इस औद्योगिक ईकाई को यहाँ से बन्द कर तुरंत अन्यत्र स्थानान्तरित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करे। अन्यथा नगर निगम द्वारा अनुज्ञेय भू-उपयोग के विपरीत किये जा रहे, आपके परिसर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

सूचित रहे।

  
उपायुक्त  
हवामहल-आमेर जोन  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज।

श्री. सु. सु. सु. सु. सु.  
8955006897

कार्यालय उपायुक्त हवामहल-आमेर जोन

12

## नगर निगम जयपुर हैरिटेज ।

क्रमांक :- F 51 () Dept.Comm./H.M.A.Z/ 2022/ 1177

दिनांक :- 13.1.2023


मै0 मोहम्मद निसार,  
प्लॉट नं. 62, गोविन्दपुरी ईस्ट,  
आमेर रोड़, जयपुर।

### नोटिस

आपके द्वारा पता 62, गोविन्दपुरी ईस्ट, आमेर रोड़, जयपुर स्थिति भूखण्ड पर अनुज्ञेय भू-उपयोग के विपरीत औद्योगिक कारखाना स्थापित कर रखा है। जो कि नगर पालिका अधिनियम 2009 का उल्लंघन है एवं आपकी इस ईकाई के प्रदूषण के कारण मानसागर झील प्रदूषित हो रही है।

अतः आप इस औद्योगिक ईकाई को यहाँ से बन्द कर तुरंत अन्यत्र स्थानान्तरित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें। अन्यथा नगर निगम द्वारा अनुज्ञेय भू-उपयोग के विपरीत किये जा रहे, आपके परिसर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

सूचित रहे।



उपायुक्त  
हवामहल-आमेर जोन  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज।

TAPAS

9314357433

महानगरपालिका उपायुक्त हवामहल-आमेर जोन,  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज ।

13

दिनांक :- 13.1.2022

क्रमांक :- F 51 () Dept.Comm./H.M.A.Z/ 2022/ 1176

0 अनीस,  
प्लॉट नं. 62, गोविन्दपुरी ईस्ट,  
आमेर रोड, जयपुर।

## नोटिस

आपके द्वारा पता 62, गोविन्दपुरी ईस्ट, आमेर रोड, जयपुर स्थिति भूखण्ड पर अनुज्ञेय भू-उपयोग के विपरीत औद्योगिक कारखाना स्थापित कर रखा है। जो कि नगर पालिका अधिनियम 2009 का उल्लंघन है एवं आपकी इस ईकाई के प्रदूषण के कारण मानसागर झील प्रदूषित हो रही है।

अतः आप इस औद्योगिक ईकाई को यहाँ से बन्द कर तुरंत अन्यत्र स्थानान्तरित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें। अन्यथा नगर निगम द्वारा अनुज्ञेय भू-उपयोग के विपरीत किये जा रहे, आपके परिसर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

सूचित रहे।

  
उपायुक्त  
हवामहल-आमेर जोन  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज।

M-  
7014959858

# कार्यालय उपायुक्त हवामहल-आमेर जोन,

## नगर निगम जयपुर हैरिटेज ।

क्रमांक :- F 51 ( ) Dept.Comm./H.M.A.Z/ 2022/ 1174

दिनांक :- 13.1.2022

मै0 फरीम भाई,  
12, पंजाबी कॉलोनी, दिल्ली बाईपास,  
जयपुर।

### नोटिस

आपके द्वारा पता 12, पंजाबी कॉलोनी, दिल्ली बाईपास, जयपुर स्थिति भूखण्ड पर अनुज्ञेय भू-उपयोग के विपरीत औद्योगिक कारखाना स्थापित कर रखा है। जो कि नगर पालिका अधिनियम 2009 का उल्लंघन है एवं आपकी इस ईकाई के प्रदूषण के कारण मानसागर झील प्रदूषित हो रही है।

अतः आप इस औद्योगिक ईकाई को यहाँ से बन्द कर तुरंत अन्यत्र स्थानान्तरित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें। अन्यथा नगर निगम द्वारा अनुज्ञेय भू-उपयोग के विपरीत किये जा रहे, आपके परिसर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

सूचित रहे।

  
उपायुक्त  
हवामहल-आमेर जोन  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज।

(15)

**कार्यालय उपायुक्त हवामहल-आमेर जोन,  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज ।**

क्रमांक :- F 51 ( ) Dept.Comm./H.M.A.Z/ 2022/ 1173

दिनांक :- 13.1.2022

मै0 राजधानी डाईंग सेन्टर,  
7, गणेश कॉलोनी, जौहरी का रेता, मस्जिद  
रामगढ़ मोड़, जयपुर।

## नोटिस

आपके द्वारा पता 7, गणेश कॉलोनी, जौहरी का रेता, मस्जिद, रामगढ़ मोड़, जयपुर स्थिति भूखण्ड पर अनुज्ञेय भू-उपयोग के विपरीत औद्योगिक कारखाना स्थापित कर रखा है। जो कि नगर पालिका अधिनियम 2009 का उल्लंघन है एवं आपकी इस ईकाई के प्रदूषण के कारण मानसागर झील प्रदूषित हो रही है।

अतः आप इस औद्योगिक ईकाई को यहाँ से बन्द कर तुरंत अन्यत्र स्थानान्तरित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें। अन्यथा नगर निगम द्वारा अनुज्ञेय भू-उपयोग के विपरीत किये जा रहे, आपके परिसर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

सूचित रहे।

  
उपायुक्त  
हवामहल-आमेर जोन  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज।



# कार्यालय नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

(हवागहल के पीछे, गाणकचीक, बड़ी चौपड, जयपुर)



क्रमांक

अ. अभियंता प्रोजेक्ट हैरिटेज/2021/82 दिनांक:- 25/11/2021


रिजनल ऑफिसर,  
राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,  
जयपुर।

अ. अभियंता (3)

विषय:-चाही गई सूचना के सम्बन्ध में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अमृत योजना के अन्तर्गत पूर्व में क्षतिग्रस्त सीवर को बदलकर 1340 मीटर (1200mm Dia) की सीवर लाईन डाली गई थी। उक्त सीवर लाईन द्वारा वर्तमान में ब्रह्मपुरी एसटीपी से अतिरिक्त सीवर जयसिंहपुरा खार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को भेजा जा रहा है जो कि जलमहल के पास स्थित जलतरंग में गेट नं. 1 से गेट नं. 3 से होकर गुजर रही है एवं कोई भी सीवर मानसागर लेक में नहीं मिल रहा है।

ब्रह्मपुरी 8 एमएलडी एसटीपी द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार ट्रीट किया जा रहा है। 8 एमएलडी ट्रीटेड वाटर जयपुर विकास प्राधिकरण के टीटीपी प्लांट के माध्यम से मानसागर लेक में जाना था वर्तमान में टीटीपी प्लांट बन्द होने की स्थिति में ट्रीटेड सीवर ब्रह्मपुरी नाले से होता हुआ सिंचाई विभाग की नहर में जा रहा है।

  
अधिसाषी अभियन्ता  
सीवर प्रोजेक्ट,  
नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता महोदय, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
3. गार्ड फाईल।

  
अधिसाषी अभियन्ता  
सीवर प्रोजेक्ट,  
नगर निगम जयपुर, हैरिटेज



17

# VAKALAINAMA

In the Before Hon'ble NGT (C2) at Bhopal  
Case O.A. No. 88/2017 200  
Tribunal at its own motion

## VERSUS

State of Rajasthan

I, NOW ALL MEN by these presents that I/we the undersigned Kamlesh Kumar Jainan/s/o Shri C.M. Jainan age 52 yrs. presently working as X En. Sewer Cam Officer in charge at Nagar Nigam, Jaipur Heritage Jaipur.

in the above case do hereby make, constitute and appoint

Shri Ashwani Chalisa, Kamlesh Sharma, Shubham Soni  
*Advocates*

my/our true and lawful attorneys, for me/us in my/our name, and on my/our behalf to appear plead and act in the said case, and more particularly to draw, make, present, withdraw, amend, represent and verify petition, complaints or written statements and to make, present applications or petitions in the court, to present, withdraw and receive documents and any money from the Court or from the opposite party either in execution of the decree or otherwise, and on receipt of payment thereof to sign and deliver for me/ us proper receipts and discharges for the same, to compromise or to refer the case to arbitration, to seek execution of the decree or any orders in the case, to draw, make present, withdraw, amend and represent any memorandum of appeal or cross objections in any appeal arising or to seek reviews or revision of any judgement, decree or order in the case, to appear, conduct and plead in all such writ / appeals / revisions and reviews, and to do all other lawful acts and things as effectually as I/we could do the same whether being personally present or otherwise, My/our said counsel is/are also hereby authorised and empowered to instruct, engage or appoint any other counsel or counsels to appear, plead and act with or for him/them in his/their absence or otherwise as my/our said counsel may think proper to do so, all acts of such counsel or counsels shall be equally and similarly binding on me/us as if done be my/our said counsel and as if done by me/us personally.

I / we hereby agree that if any part of the said counsel's fee remains unpaid before the first hearing of the case, or if any hearing of the case be fixed on tour or at any other place except the usual court premises, then my / our said counsel will not be bound to appear before the court. The counsel's fee now settled and agreed to is in respect of this Court and for the pending proceedings only. Any fresh action hereafter taken will entitle the counsel to fresh fees. I / We also agree that if the case be dismissed in default or if it be proceeded ex-parte under any circumstances whatsoever the said counsel shall not be held responsible for the same and all whatsoever my/our said counsel shall do in connection with the said case, I / we do hereby agree to ratify and confirm. Any costs awarded in the case at any time in my/our favour shall form part of the counsel's claim and shall be payable to him/them in addition to his/their fees in the case.

IN WITNESS WHEREOF I/we have hereto set my/our hand (s) at \_\_\_\_\_

this 1/2/22 days of \_\_\_\_\_ and delivered to the said counsel (s)

**Accepted**

1. Ashwani
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

Ashwani  
R/2656/08 Shubham Soni  
R/3022/18